भारत सरकार,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र ,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.
टेलि: 022-28294703 / 28294756
फैक्स: 022-28291754, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in

सत्यमेव जयते

फा.सं.सीप्ज़-सेज़/हिंदी-155/08/पार्ट फाइल-IV/22437 दिनांक 11.9.2018

सेवा में,
सीप्ज़ - सेज़ में स्थित सभी यूनिट

विषयः- विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़ - सेज़ के साथ हिंदी में मूल पत्राचार किए जाने के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

जैसाकि आप जानते हैं कि हिंदी संघ की राजभाषा है तथा “ख” क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए “क” क्षेत्र एवं “ख” क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति को 90% पत्र मूल रूप से हिंदी में भेजे जाने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के यूनिटों / कंपनियों में अंग्रेजी न जानने वाले अथवा कम जानने वाले कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी यह आवश्यक है कि संघ की राजभाषा नीति के अनुसार इन्हें हिंदी में सेवा संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं ।

14 सितंबर, 2018, हिंदी दिवस के अवसर पर सरकारी कामकाज में जनहित को ध्यान में रखते हुए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य के प्रति अपना संकल्प दोहराते हुए सीप्ज़ - सेज़ में स्थित यूनिटों / कंपनियों / जनोपयोगी सेवा प्रदाताओं से आग्रह है कि वे इस कार्यालय के साथ मूल रूप से हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें । उनसे हिंदी में प्राप्त हाने वाले पत्रों के उत्तर इस कार्यालय की ओर से अनिवार्यतः हिंदी में ही दिए जाएंगे ।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़ - सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़ - सेज़